तांत्रिक क्रियाओं से उपचार के नाम पर ठगी

कार्रवाई
- महिला ने लगाई कलेक्टर से गुहार
- जनसुनवाई में आए 114 आवेदन

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 24 फरवरी. कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई की गई जिसमें एक महिला अपने साथ हुई ठगी की शिकायत लेकर पहुंची.

महिला के साथ तांत्रिकी क्रिया से पति का उपचार करने के नाम पर ठगी किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि विट्ठल नगर निवासी अमित वासवानी ने तांत्रिक क्रियाओं से पति का उपचार कराने के नाम पर करीब 15 हजार रुपये की ठगी की है. आगे पीड़िता ने बताया कि यह ठगी बड़ी नहीं हैं, लेकिन आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहती हूं कि वासवानी ने तांत्रिक क्रियाओं से अलग-अलग तरह के इलाज कराने के नाम पर पता नहीं कितने लोगों के साथ ठगी की होगी. उक्त पीड़िता यह गुहार जनसुनवाई में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से ओम शिव नगर लालघाटी निवासी एक महिला ने लगाई. महिला ने बताया कि पति मिथलेश यादव को किडनी की समस्या के चलते यूरिन नहीं आने की बीमारी है. उनका भैंसाखेड़ी के एक निजी अस्पताल में डायलेसिस भी चल रहा है. मुझे पता चला कि अमित वासवानी तांत्रिक क्रियाओं से इलाज करने वाले के पास नर्मदापुरम लेकर गए.

पीड़िता से दो बार में लिए 13 हजार

पीड़िता ने बताया कि मुझसे 13 हजार रुपये लिये. पहले 8 और फिर 5 हजार रुपये लिए. 2 हजार रुपये कार से आने-जने में खर्च हुए. तांत्रिक क्रिया कराने पर 10 से 15 दिन में आराम होने की बात कही गई, लेकिन पति की बीमारी में आराम नहीं लगा. इसके गवाह कैलाश भाई हैं, जिनके द्वारा अमित वासवानी हमें नर्मदापुरम लेकर गया. अमित वासवानी पर कार्रवाई करके, मुझ से ठगे गए 15 हजार रुपये दिलाएं. कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए कार्रवाई के लिए जोन-3 के एसीपी को निर्देशित किया है. जनसुनवाई में 114 शिकायती आवेदन आए. सुनवाई के दौरान कलेक्टर, एडीएम अंकुर मेश्राम सहित अन्य अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया.

धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले गिरफ्तार

02 महिला आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 24 फरवरी. बागसेवनियां थाना पुलिस ने दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाली 2 महिला आरोपियों के साथ ही एक अन्य आरोपी युवक चंदन यादव को गिरफ्तार किया है.

महिला आरोपी अमरीन उर्फ माहिरा और आफरीन आपस में सगी बहनें हैं. आरोपी चंदन को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है. सभी आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है. जानकारी के मुताबिक पुलिस की अब तक की पूछताछ में महिला आरोपियों ने अपने गिरोह को लेकर खुलासा किया है. खुलासा हुआ है कि महिलाओं को टारगेट पर लेकर धर्म परिवर्तन कराने के साथ ही देह व्यापार में धकेला जाता था. आरोपी बहनें रईस लड़कों को अपना क्लाइंट बनाते हुए लड़कियों की सप्लाई का घिनौना काम कर रही थीं. मुंबई और गुजरात सहित शहरों में इनका नेटवर्क सक्रिय है. महिला आरोपियों ने आपराधिक काम करते हुए लग्जरी लाइफ जी रही थी. दोनों ने शहर में महंगी प्रापर्टी भी तैयार कर ली है. आरोपियों का भंडाफोड़ तब हुआ जब रविवार को छत्तीसगढ़ की रहने वाली 30 वर्षीय पीड़ित महिला ने तीनों आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की.

पीड़िता के अनुसार आरोपी गरीब घर की महिलाओं को पैसों का लालच देकर टारगेट में लेते थे. पहले महिलाओं को घरेलू काम के लिए बेहतर सैलरी का लालच देकर रखा जाता है. इसके बाद उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है. पीड़िता के साथ भी आरोपियों ने ऐसा ही किया था. पीड़िता को आरोपियों के खिलाफ खड़े होने की ताकत तब मिली, जब एक अन्य पीड़िता की तरफ से सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाई गई. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस को अंदेशा है कि शहर में अन्य महिलाओं के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई होंगी. सभी आरोपियों से मामले में पुलिस की पूछताछ जारी है.

एक नजर में

महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

भोपाल. बागसेवनियां इलाके में रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पीड़िता ने बताया कि वह 3 सालों से अपने पति से अलग रह रही है. पीड़िता एक संस्था में काम करती थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी राजेश परमार से हुई. राजेश ने महिला से शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए. महिला के बार-बार शादी करने की बात पर राजेश मुकर रहा था. तभी महिला को यह भी पता चला कि राजेश पहले से ही विवाहित है.

कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

भोपाल. ईटखेड़ी थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत पर मर्ग की जांच कर रही है. बाइक सवार की मौत सड़क दुर्घटना में होने के बाद आरोपी अज्ञात वाहन चालक की तलाश में पुलिस जुटी है. इस हादसे की चपेट में आने से मृतक के साथी को भीगंभीर चोटें आई है. विनय सिंह राजपूत (55) ग्राम मेगराकला थाना बैरसिया के रहने वाले थे. 19 फरवरी को वह अपने साथी समंदर सिंह राजपूत के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईंटखेड़ी स्थित निपानिया जाट की तरफ जा रहे थे. इस दौरान एक तेज रफ्तार कार के चालक ने ओवरटेक करते हुए बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी.

नगर निगम के अमले ने हटाए अतिक्रमण

भोपाल. नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. यह कार्रवाई शहर में सड़कों के रास्तों को प्रभावित करने वाले अतिक्रमण पर की गई. इस दौरान दो दर्जन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया. निगम अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरूआत कोलार चूना भट्टी से की. उसके बाद सर्वधर्म कालोनी, जेके हॉस्पिटल, ललिता नगर, बंजारी चौराहा, कटियार मार्केट, फाइन एवेन्यू, सलैया, बांसखेड़ी, जवाहर चौक, मालवीय नगर, बिड़ला मंदिर, सतपुडा भवन आदि जगह से भी अतिक्रमण हटवाया.

नाबालिग पर चाकू से हमला करने वाले धराए

पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 24 फरवरी. बैरागढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को एक 16 वर्षीय नाबालिग पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया. इलाके में बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकालते हुए सुरक्षा का संदेश भी दिया.

बदमाशों ने सोमवार को देर रात यह वारदात तब की, जब नाबालिग की दुकान के सामने ही आरोपी शराब पीने के लिए रूके थे. नाबालिग ने उन्हें कहीं और जाकर शराब पीने की बात कही. इससे नाराज होकर बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. मामला संज्ञान में लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश की. मछली मार्केट में रहने वाला पीड़ित किशोर ग्यारहवीं कक्षा का छात्र है. उसके पिता घर के पास ही दुकान चलाते हैं. देर रात को नाबालिग दुकान पर था और उसके पिता किसी काम से गए थे. इस दौरान एक कार सवार चार युवक दुकान के सामने पहुंचे और शराब पीने लगे. नाबालिग ने युवकों से दुकान के सामने से कार हटाकर कहीं और शराब पीने की बात कही. इस बात से नाराज हो कर चारों बदमाशों ने नाबालिग के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. आरोपियों में से एक ने अपने पास रखी चाकू से नाबालिग पर जानलेवा हमला कर दिया.

सज गई पिचकारी की दुकान

भोपाल. होली के लिए अब करीब एक हफ्ता ही शेष बचा है. घरों और बाजारों में होली की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी के साथ दुकानदारों ने भी पिचकारियों की दुकानें सजा ली है.

हिंदू उत्सव समिति ने की चार मार्च को अवकाश घोषित करने की मांग

03 मार्च को होगा चंद्र ग्रहण

नवभारत संवददाता

भोपाल, 24 फरवरी, हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ मंगलवार को कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन दिया. यह ज्ञापन होली के अवसर पर हिंदू उत्सव समिति के द्वारा शहर में निकाला जाने वाले जुलूस के लिए दिया.

चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि हिंदू उत्सव समिति राजधानी में वर्षों से होली के दिन शहर में जुलूस निकालने का आयोजन करता आ रहा है. इस बार तिथि के आधार पर होली दहन दो मार्च को है, तीन मार्च को सुबह 6:10 बजे से सूतक लग जाएगा. जो 12 घंटे तक रहेगा. सूतक के दौरान जुलूस निकाले जाने का आयोजन किया नहीं जा सकता है. होली मनाने के लिए शासन का अवकाश घोषित किया गया है. इसलिए हिंदु उत्सव समिति चार मार्च धुरेड़ी मनाते हुए शहर में जुलूस निकालेगा. जुलूस के दिन स्थानीय अवकाश घोषित करने की करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया. हिंदू उत्सव समिति व संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है एक या दो दिन में समिति चार मार्च को अवकाश घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग को भी पत्र लिखकर मांग करेगा.

चार मार्च को रंग गुलाल से सजेगी राजधानी

हिंदु उत्सव समिति चार मार्च को जुलून निकालने का आयोजन करेगा. इस दिन राजधानी रंग-गुलाल, पारंपरिक वाद्य-यंत्रों, आकर्षक झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सुसज्जित रहेगी. समिति का कहना है कि आयोजन का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, अनुशासन और सांस्कृतिक एकता का संदेश देना भी है.

गणित की परीक्षा में 7 नकलची पकड़ाए

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 24 फरवरी. माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2026 के तहत मंगलवार को आयोजित गणित के पेपर के दौरान प्रदेशभर में 7 नकल प्रकरण दर्ज किए गए.

परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई, लेकिन सख्त निगरानी के बीच कई केंद्रों पर नकल करते परीक्षार्थी पकड़े गए. मुरैना जिले में 3, उज्जैन में 1, बड़वानी में 2 और भोपाल में 1 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, जिसके बाद सभी मामलों में तत्काल प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है. परीक्षा केंद्रों पर उड़नदस्तों और पर्यवेक्षकों की विशेष तैनाती की गई है.

भटकी बालिकाओं को परिजनों से मिलाया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 24 फरवरी. राजधानी में डायल-112 ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि यह केवल आपातकालीन सहायता सेवा ही नहीं, बल्कि विशेषकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील एवं भरोसेमंद व्यवस्था भी है.

इंदौर जिले में डायल-112 टीम की तत्परता से दो रास्ता भटकी मासूम बालिकाओं को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाया गया. 24 फरवरी को भोपाल स्थित राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल वेयर हाउस के पास दो नाबालिग बालिकाएँ मिली हैं, जो अपना घर का रास्ता भटक गई हैं और पुलिस सहायता की आवश्यकता है. सूचना मिलते ही डायल-112 की प्रथम प्रतिक्रिया वाहन (एफआरवी) को तत्काल मौके पर भेजा गया. मौके पर पहुंचकर टीम ने स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद दोनों बालिकाओं को संरक्षण में लिया और संबंधित विद्यालय से संपर्क कर उनके परिजनों की जानकारी प्राप्त की. पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद दोनों बालिकाओं को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया गया. बच्चों को सुरक्षित पाकर परिजनों ने डायल-112 टीम के प्रति आभार व्यक्त किया.

जाम में फंसे 'आम'

भोपाल. पॉलिटेक्निक चौराहे पर मंगलवार को दोपहर बाद जाम की समस्या बनी रही. लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सभा के समापन के बाद वाहनों की लंबी कतार सड़कों पर नजर आई.

सोसाइटी के पूर्व सचिव पर लगाए अवैध कब्जे के आरोप

भोपाल. राजधानी में पारस सिटी के पूर्व सचिव पर महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप लगाए हैं. इसकी शिकायत जनसुनवाई में कलेक्टर की है. पारस सिटी परिसर कॉलोनी के लोगों ने सोसाइटी कार्यालय के पूर्व सचिव अजय त्रिपाठी पर अवैध कब्जा करने व महिला सदस्यों पर दुर व्यवहार के आरोप लगाए हैं। सोसायटी के रहवासियों ने जनसुनवाई में शिकायती आवेदन दिया है. वहीं प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की है कि पूर्व सचिव अजय त्रिपाठी का कार्यकाल मई-2025 में पूरा होने पर भी कार्यालय हैंडओवर नहीं किया और कब्जा कर रखा है.

कुर्की से पहले निगम को मिले 20 लाख

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 24 फरवरी. राजधानी में मंगलवार नगर निगम ने संपत्तिकर जमा न करने वालों पर कुर्की की कार्रवाई की, जिसमें एक निजी होटल के मालिक ने कुर्की होने से पहले ही बकाया संपत्तिकर जमा कर दिया और कुर्की होने से बचा लिया.

उक्त होटल प्रबंधन ने निगम के द्वारा बार बार नोटिस देने के बाद भी बकाया संपत्तिकर नहीं किया गया था. वर्तमान में वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है. नगर निगम का राजस्व वसूली अभियान चल रहा है, इसके लिए निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर संपत्तिकर जमा करवा रहे हैं. बता दें कि जोन 19 के वार्ड 84 में 11 मील चौराहे पर यह होटल स्थित है. इस पर नगर निगम का अट्ठाईस लाख रुपए संपत्तिकर बकाया था. प्रतिदिन की तरह कुर्की की कार्यवाही करने निगम कर्मी पहुंचे थे. लेकिन होटल प्रबंधन ने कुर्की के पूर्व ही बीस लाख रुपए जमा कर दिए गए एवं शेष 8 लाख रु. राशि लोक अदालत में जमा करने का आश्वासन दिया है.

बकायादारों की तीन संपत्तियां कुर्क

नगर निगम द्वारा जोन 5 के अंतर्गत वार्ड 8 के जूनागढ़ हाउस के समीर कुकरेजा द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि चार लाख इकसठ हजार तीन सौ बीस रूपये का भुगतान न करने पर उक्त बकायादार की संपत्ति कुर्क की. वहीं जोन18 के वार्ड 80 के अल्टीमेट आर्केड के तहसीन खान द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि सात लाख निन्यानवे हजार सात सौ बांसठ रूपये तथा अर्निंग पाईंट के टी-9 तृतीय तल के बकायादार प्रशांत शर्मा, विजेन्द्र शर्मा, दीपेश मलिक, दीप विजय अरोडा व प्रशांत नायक पर बकाया राशि एक लाख तीस हजारचार सौ बहत्तर रूपये का भुगतान न करने पर उक्त बकायादारों की संपत्तियां कुर्क करने की गई.

तिथि घोषित | पिछले वर्ष की तुलना में 25 हजार अधिक आवेदन आए

एक मार्च को होगी मप्र राज्य पात्रता परीक्षा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 24 फरवरी. मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मप्र राज्य पात्रता परीक्षा 2025 अब 1 मार्च को प्रदेश के 12 संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी.

बता दें इस वर्ष परीक्षा में रिकॉर्ड 1 लाख 46 हजार 405 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है. जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 हजार अधिक है. यह आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की युवाओं की रुचि लगातार बढ़ रही है. वहीं बता दें यह परीक्षा 31 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, वाणिज्य सहित विभिन्न विज्ञान विषय शामिल हैं. आयोग की संचालन समिति के अनुसार परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वहीं अभ्यर्थियों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा दे दी गई है. साथ ही समिति द्वारा अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसमें दर्ज सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक जांच लें. बता दें परीक्षा पहले 11 जनवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर 1 मार्च की नई तिथि घोषित की गई.

परीक्षा केंद्रों पर होंगे विशेष निगरानी दल

परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा. परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी दल तैनात रहेंगे. नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

एमपी के बीएएमएस छात्रों को मिली टाइम लाइन

भोपाल. मध्यप्रदेश के आयुर्वेद विद्यार्थियों के लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने सत्र 2025-26 के बीएएमएस पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश के 39 आयुर्वेद महाविद्यालयों में अध्ययनरत हजारों छात्रों की परीक्षा और परिणाम की समय-सीमा स्पष्ट हो गई है.

होली के त्यौहार पर प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल के निर्देश

भोपाल. होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग अब नमूने लेने के लिए अभियान चलाएगा. होली के त्यौहार पर खास तौर से मिठाई के लिए मावे का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी राजधानी भोपाल में लाया जाता है, जिसमें मिलावट होने की संभावना अधिक रहती है. इस तरह के आने वाले दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ मावा, मिठाइयां, घी, तेल, मसाले ड्रायफ्रूट्स, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, सेलीब्रेशन पैक इत्यादि खाद्य पदार्थों पर निगरानी रखी जाएगी.

फर्जी चेक मामले में सुनाई सजा

रुपये निकालने की कोशिश के मामले में फैसला

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 24 फरवरी. जिला कोर्ट ने एक कंपनी का फर्जी चेक बनाकर रुपये निकालने का प्रयास करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है. मंगलवार को 23वें अपर सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने मामले पर अपना फैसला सुनाया.

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फर्जी चेक बनाकर राशि निकालने के आरोपी शौकीन्द्र कुमार को दोषसिद्ध पाते हुए कोर्ट ने उन्हें 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदण्ड लगाया है. प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसटीएफ भोपाल आकिल खान ने पैरवी की. मामला साल 2020 का है, जब पुलिस थाना एसटीएफ भोपाल को दिलीप बिल्डकॉन के अध्यक्ष भारत ने एक लिखित शिकायत की. शिकायत में कंपनी द्वारा पूर्व में जारी किये गये चेक पर राशि 3 हजार रुपये, जो कंपनी के एक कर्मचारी अंकुर कुमार को दिया गया था. इस चेक की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्लोनिंग कर 10 करोड की राशि का चेक तैयार कर देव कन्स्ट्रकशन के नाम से 27/02/2020 को केनरा बैंक जिला मुजफ्फनगर उत्तर प्रदेश में निकालने के लिए प्रस्तुत किया गया था.